

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड



मुख्य अभियंता परियोजना
उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०
1/4, लखनपुर, कानपुर

कार्यालय: परियोजना अधिकार
ट्रोनिका सिटी परियोजना
प्रशासनिक भवन, सेक्टर-बी-
दिल्ली-सहारनपुर रोड,
ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद-20
दूरभाष : 2696655
फैक्स : 2696644

संदर्भ संख्या

23 /एसआईडीसी/पीओटीसी

दिनांक 2-4-12

विषय : ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या सी-3/1 सेक्टर सी-3 ट्रोनिका सिटी
गाजियाबाद के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अतगत कराना हैं कि कि उक्त भूखण्ड का भवन मानचित्र मुख्यालय द्वारा पत्रांक 578/एसआईडीसी/एटीपी दिनांक 05.03.2012 के द्वारा स्वीकृत किया गया हैं। स्वीकृति पत्र की छायाप्रति संलग्न हैं। स्वीकृति पत्र के बिन्दु संख्या -5 में अभियंत्रण अनुभाग से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

अतः आपसे अनुरोध हैं कि कृपया उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें ताकि भवन मानचित्र स्वीकृति पत्र निर्गत किया जा सके।

भवदीय


परियोजना अधिकारी

परियोजना अधिकारी (ट्रोनिका सिटी)
यूपीएसआईडीसी लि०,
गाजियाबाद।

Reference No. 578

/SIDC/ ATP

Dated 05/3/12

विषय: भूखण्ड सं० सी-3/1, सेक्टर, सी-3, (ग्रुप हाउसिंग) ट्रोनिका सिटी
गाजियाबाद के भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बंध में।

प्रमाण

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 4373 दिनांक 20.7.11 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा भूखण्ड सं० सी-3/1, सेक्टर, सी-3, (ग्रुप हाउसिंग) ट्रोनिका सिटी के पुनरीक्षित भवन मानचित्र पर स्वीकृत की अपेक्षा की गयी है। अध्यक्ष सह प्र० नि० महोदय द्वारा निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत प्रदान की गयी है:-

1. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 5136/8-3-2008-11 विविध/08 लखनऊ दिनांक 25.9.08 में दिए गये भू-आच्छादन तथा एफएआर ग्रुप हाउसिंग हेतु एवं शासनादेश संख्या 2594/8-3-09-73 विविध/07 लखनऊ दिनांक 08.6.09 के बिन्दु संख्या-1 में उल्लिखित 24 मीटर व उससे अधिक चौड़ी सड़क पर 325 इकाईया प्रति हेक्टर का घनत्व के सम्बंध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अनुपालन किया जा रहा है, के अनुसार मानचित्र अनुमन्य किए गये हैं। वर्तमान में प्रस्तुत भवन मानचित्रों जिस पर अनुमोदन प्राप्त किया गया है पूर्व में समय समय पर किये गये मानचित्रों के अनुमोदन को (supersede) करते हुए किया गया है।
2. भवन मानचित्र 51178.103 वर्ग मी० (30.1047%) कुल एफएआर के अनुसार प्रस्तुत किए गये हैं। प्रस्तुत एफएआर के अन्तर्गत 42500.00 वर्ग मी० (250%) एफएआर पूर्व में अनुमन्य के अनुसार एवं शेष (51178.103 - 42500.00 = 8678.103 वर्ग मी० (20.419%) जो कि कय योग्य एफएआर की सीमाओं के अन्तर्गत आता है जिसकी शुल्क की गणना सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार होंगे।
3. भवन मानचित्र स्वीकृत एवं कय योग्य एफएआर शुल्क की गणना वर्तमान में प्रस्तावित 30.1047% एफएआर पर करते हुए पूर्व में इस संदर्भ में जमा की गयी धनराशि का समायोजन करते हुए प्राप्त करना होगा।
4. आवंटी को उपरोक्त प्रस्ताव के संदर्भ में यथा आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा जैसे: नगरीय विमान, पर्यावरण, प्रदूषण।
5. परियोजना अधिकारी इस प्रकरण में जहाँ पर कि पूर्व में स्वीकृत एफएआर के अतिरिक्त कय योग्य एफएआर स्वीकृति करने की संस्तुति की गयी है, के

Pravda
16-03-12

संदर्भ में अभियानन्त्रण अनुभाग से यथा आवश्यक क्षेत्र की सुविधाओं के अनुसार अनापत्ति प्राप्त कर ली जाये।

6. भवन निर्माण एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन, भूकम्परोधी मानकों को ध्यान में रखते हुए IS Code of Practice के अन्तर्गत आने वाली सभी शर्तों का पालन किया जायेगा।
7. भूतल पर दर्शाया गया अनाच्छादित पार्किंग, भवन के किसी भाग से (रैम्प, जीना इत्यादि) न्यूनतम 6.0 मीटर दूरी बनाकर प्रावधानित किया जाना आवश्यक होगा ताकि अग्निशमन के मानकों का उल्लंघन न हो।
8. बेसमेन्ट हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 के बिन्दु संख्या 3.9.3(ii) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार होंगे।

अनुमोदित भवन मानचित्र की दो प्रतियां आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। मानचित्र निर्गत करने से पूर्व उल्लिखित तथ्यों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं मुख्यालय को सूचनार्थ प्रस्तुत करें।

पृ0सं0 /यथोक्त।

प्रतिलिपि मेसर्स प्रथम बिल्डकॉम प्रा0लि0, सी-5बी/7ए, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनमोहन)
अधीक्षण अभियन्ता

दिनांक:

(मनमोहन)
अधीक्षण अभियन्ता